कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।

पत्रांक– 471 /सोनभद्र/33,दिनांक, राबर्ट्सगंज, सितम्बर 20 ,2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षण,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– जनपद सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्लू0ई0) के अन्तर्गत सुअरसोत खुर्द से सियरिया मार्ग किमी0 0.000 से 19.200 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 11.7900 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 112 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– कार्यालय अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग का पत्रांक– 935(1)/यू0पी0 67153–पी0एम0जी0एस0वाई0/2022 दिनांक 08.09.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ **674/11-C-FP/UP/ROAD/119900/2021 Lucknow Dt. 24-08-2022**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में आप द्वारा इंगित कमियों का निम्नानुसार निराकरण कर प्रस्ताव की चार प्रतियां मूल में संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र0सं0	बिन्दु	आख्या
1	बिन्दु संख्या : 1–प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक–343/11–सी दिनांक–14.08.2020 के क्रम में संलग्न किया गया प्रमाण पत्र मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	महोदय आपके स्तर से अपेक्षित
2	बिन्दु संख्या : 2 – प्रस्ताव में एन0पी0वी0 जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु वचनबद्धता में संशोधित एन0पी0वी0 की दर के सम्बन्ध में भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06.01.2022 का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः उल्लेख कर संशोधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	वचनबद्धता में संशोधित एन0पी0वी0 की दर के सम्बन्ध में भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06.01.2022 का उल्लेख करते हुए संशोधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
3	बिन्दु संख्या : 3 – प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है। अतः प्रतिहस्ताक्षरित युक्त वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर आनलाइन अपलोड करें।	पेज संख्या–82 पर प्रतिहस्ताक्षरित वचनबद्धता संलग्न है।
4	बिन्दु संख्या : 4 – गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न है किन्तु प्रस्तावित स्थल चिन्हित नहीं है।	प्रस्तावित स्थल चिन्हित कर दिया गया है।
5	बिन्दु संख्या : 5 – प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 131 पर संलग्न वन्यजीव विहार/सेन्चुरी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र में प्रस्तावित स्थल कैमूर वन्य जीव विहार के अंदर नहीं आ रहा है का उल्लेख किया गया है, किन्तु प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि प्रस्तावित स्थल इको सेन्सिटिव जोन के बाहर है अथवा नहीं? अतः सही स्थिति का उल्लेख कर संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न करें।	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 131 पर संलग्न वन्यजीव विहार/सेन्चुरी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र में प्रस्तावित स्थल कैमूर वन्य जीव विहार के अंदर नहीं आ रहा है का उल्लेख किया गया है, किन्तु प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि प्रस्तावित स्थल इको सेन्सिटिव जोन के बाहर है अथवा नहीं के सम्बन्ध में संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
6	बिन्दु संख्या : 6 – प्रस्ताव में रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, में संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव में रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
7	बिन्दु संख्या : 7 – प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कम से कम वृक्षों का पातन किये जाने से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कम से कम वृक्षों का पातन किये जाने से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।

8	बिन्दु संख्या : 8 – ऑनलाइन पार्ट–1 व पार्ट–2 में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जा रही गैर वन भूमि के गाटा संख्या–45घ का क्षेत्रफल 2.13 हे0 दर्शाया गया है, जबकि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गाटा संख्या–45घ में से केवल 1.979 हे0 ही गैर वन भूमि दी जा रही है। अतः उपरोक्तानसुार गाटा संख्या 45घ का सही क्षेत्रफल ऑनलाइन पार्ट–1 व पार्ट–2 में अपलोड करें तथा 1.979 हे0 गैर वन भूमि की के0एम0एल0 फाइल एवं Geo Referenced Digital Map संलग्न कर ऑनलाइन भाग–1 एवं भाग–2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।	ऑनलाइन पार्ट–1 में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जा रही गैर वन भूमि के गाटा संख्या–45घ का क्षेत्रफल 2.13 हे0 दर्शाया गया है, जबकि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गाटा संख्या–45घ में से केवल 1.979 हे0 ही गैर वन भूमि दी जा रही है। अतः उपरोक्तानुसार गाटा संख्या 45घ का सही क्षेत्रफल ऑनलाइन पार्ट–1 में अपलोड कर दिया गया है तथा 1.979 हे0 गैर वन भूमि की के0एम0एल0 फाइल एवं Geo Referenced Digital Map संलग्न कर ऑनलाइन भाग–1 में यथा स्थान पर अपलोड कर दिया गया है।
9	बिन्दु संख्या : 9 – उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्ताव में संलग्न करें।	उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Sk

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।

संख्या– 471 अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

Sk

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

Recd
20/9/22